भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 164

31 जुलाई, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

जल निकासी नेटवर्क का आधुनिकीकरण

†*164. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लीः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अत्यधिक वर्षा, अपर्याप्त तूफानी जल अवसंरचना और अनियोजित शहरीकरण के कारण प्रमुख शहरों में बार-बार बाढ़ आने और इसकी गंभीरता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन अथवा किन्हीं अन्य संबंधित शहरी योजनाओं के अंतर्गत बाढ़ प्रवण क्षेत्रों, पुरानी जल निकासी प्रणालियों और अतिक्रमण किये गए प्राकृतिक जल चैनलों का शहर-वार मानचित्रण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा जल निकासी नेटवर्क के आधुनिकीकरण, 'स्पंज सिटी' के सिद्धांतों को एकीकृत करने और मास्टर प्लान में शहरी बाढ़ जोखिम क्षेत्र को लागू करने में राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने और जलवायु-अनुकूल अवसंरचना योजना सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शहरी बाढ़ सुनम्यता ढांचा विकसित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (घ): शहर स्तर पर शहरी बाढ़ का प्रबंधन राज्य सरकारों और शहरी स्तर के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो जल निकासी और सीवरेज प्रणाली के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अलावा, संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध कार्यक्रमों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। सरकार शहरी नियोजन ईको तंत्र को सशक्त बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने शहरी जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज/परामर्शी दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं जैसे कि:

i. शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 (अध्याय 6: सतत दिशा-निर्देश और अध्याय 8 : अवसंरचना नियोजन https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf)

ii. शहरी बाढ़ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/SOP%20Urban%20flooding_5%20May%202017.pdf)

iii. शहरों को प्रकृति-आधारित समाधान के साथ-साथ संयुक्त जल प्रबंधन दृष्टिकोण का विकास करने में सक्षम बनाने के लिए वर्ष 2021 में नदी केन्द्रित शहरी नियोजन दिशा-निर्देश (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/RCUP%20Guidelines.pdf)

iv. वर्षा जल संचयन पार्कों के निर्माण हेतु मार्गदर्शी दस्तावेज़ (https://mohua.gov.in/pdf/6566e1048ab41guidance-document-on-rainwater-harvesting-parks-final.pdf)

v. वर्षा जल निकासी प्रणाली नियमावली, 2019 (खंड-I और खंड-II) (https://mohua.gov.in/publication/manual-on-storm-water-drainage-systems-2019.php)

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) में अन्य बातों के साथ-साथ, तूफानी वर्षा जल निकासी पर जोर दिया गया था, जिसमें बाढ़ संबंधी समस्याओं को कम करने तथा खत्म करने के लिए नालियों/तूफानी वर्षा जल निकासी नालियों का निर्माण करना और हरित क्षेत्र और पार्कों का विकास शामिल था। अमृत के तहत, 3016.82 करोड़ रु. की 838 तूफानी वर्षा जल निकासी परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था। राज्यों द्वारा अमृत पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार, 2,401.38 करोड़ रु. की 809 तूफानी वर्षा जल निकासी परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप जल भराव वाले 3,759 स्थानों को दुरूस्त कर दिया गया है। अमृत के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1,606.31 करोड़ रु. के 2,529 पारगम्य हरित स्थान और पार्क परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 1,533.83 करोड़ रुपये की 2,464 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से 5,092 एकड़ पारगम्य हरित क्षेत्र विकसित किया गया है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत, 6,210.66 करोड़ रुपये की 3,032 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं और 2122 एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाली 1,078.63 करोड़ रुपये की 1,684 पारगम्य हरित क्षेत्र और पार्क परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

इसके अलावा, अमृत और अमृत 2.0 के अंतर्गत सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ तूफानी वर्षा जल निकासी में सहायता करती हैं। अमृत के अंतर्गत, 890 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिससे 21,754 किलोमीटर लंबा सीवर नेटवर्क तैयार किया गया है। अमृत 2.0 के अंतर्गत अब तक, 35,268 किलोमीटर लंबे सीवर नेटवर्क को कवर करने वाली 586 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत उथला जलभृत प्रबंधन (एसएएम) पहल को नौ विविध भारतीय शहरों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य उथला जलभृत प्रबंधन में कार्यनीतिक हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करना था, जिसमें जलभृत मानचित्रण, पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण और जीर्णोद्धार, तथा शहरी नियोजन फ्रेमवर्क में भूजल प्रबंधन के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। सफलताओं और अनुभव के आधार पर, एसएएम 2.0 के तहत इन प्रयासों को 75 अतिरिक्त शहरों तक बढ़ाने की पहल को शुरू किया गया है। एसएएम 2.0 का उद्देश्य भूजल पुनर्भरण योजनाओं के विकास, विभिन्न पुनर्भरण संरचनाओं के प्रदर्शन, और शहरों की समग्र जल प्रबंधन कार्यनीति में जलभृत प्रबंधन के महत्व के बारे में शहर के अधिकारियों और नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना है।

15वें वित्त आयोग के तहत भारत के सबसे अधिक आबादी वाले सात शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में एकीकृत बाढ़ प्रबंधन समाधानों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रशमन कोष (एनडीएमएफ) के अंतर्गत 2,500 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के तकनीकी दिशा-निर्देशों में शहरी स्थानीय निकायों को जल निकासी के आधुनिकीकरण, स्पंज सिटी अवधारणाओं को समाहित करने और मास्टर प्लान में बाढ़ क्षेत्रों को शामिल करने के निर्देश शामिल हैं।

*****